न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.
अपील संख्या : 237/2019

प्रहलाद पुत्र भूरा जाति माली, निवासीः कस्बा चाकसू, जिला जयपुर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. नाथूलाल पुत्र भूरा
2. जगदीश पुत्र भूरा
   समस्त जाति माली, निवासीः कस्बा चाकसू, जिला जयपुर।
3. रामकंवार मीना पुत्र प्रहलाद मीना निवासीः 171/298 प्रताप नगर, सांगानेर, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

—रेस्पोडेन्टस्

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 01.05.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर वाद संख्या 202/2018 उनवानी नाथू बनाम रामकंवार अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

श्री रामगोपाल एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री मुकेश शर्मा एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1
श्री अजीत सिंह एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2
श्री मुकेश मामोडिया एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 3

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)

निर्णय दिनांकः 03.03.2020

—: निर्णय :—

1. अपीलान्ट की ओर से एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू के वाद संख्या 202/2018 बउनवानी नाथू बनाम रामकंवार में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 01.05.2019 के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद बाबत् विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 10486, 10494, 10495, 10496, 10499, 10500, 10501, 10805, 10806, 10808, 10810, 10811, 10812, 10813, 10814 एवं 10815 कुल किता 16 कुल रकबा 3.38 हैक्टेयर वाके कस्बा चाकसू पश्चिम तहसील चाकसू, जिला जयपुर में स्थित है। वादग्रस्त भूमि के हिस्सा 1/3 का वादी रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है, बाकी हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसारहै। वादी व प्रतिवादी संख्या 1

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned with CamScanner

लगायत 3 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अपने हिस्से अनुसार वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा सरकार में लगा अदा करते आ रहे है। वादग्रस्त आराजी का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने आपसी सहमति से मौके पर फेरबदल कर, बाहमी बंटवारा कर रखा है एवं मौके पर उसी अनुसार काबिज, काश्त चले आ रहे है। प्रतिवाद संख्या 3 प्रहलाद ने भूमि खसरा नंबर 10499, 10500, 10501 एवं 10806 कुल किता 4 कुल रकबा 0.90 हैक्टेयर में अपने 1/3 हिस्से का बेचान प्रतिवादी संख्या 1 रामकुंवार को कर दिया है। प्रतिवादी संख्या 1 रामकुंवार मीना अजनबी क्रेता है जिसका वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 रामकुंवार सहखातेदारी भूमि को आबादी में तब्दील करने के इरादे से भूमि खसरा नंबर 10499, 10500 एवं 10501 पर कंकरीट व मोरम डालकर प्लेटिंग कर रोड बनाने पर आमादा है। राजस्व रिकॉर्ड में भूमि अविभाजित है। वादीगण ने कुछ समय पूर्व प्रतिवादीगण से विधिवत तकासमा कराने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादीगण कानूनन विभाजन करवाने को इंकार हो गये एवं प्रतिवादीगण ने वादीगण के कब्जे काश्त एवं विभाजित हक में हस्तक्षेप कर वादीगण को बेदखल करने की धमकी दी इस वजह से वादीगण को वाद विभाजन आराजीयात एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि खसरा नंबर 10486, 10494, 10495, 10496, 10499, 10500, 10501, 10805, 10806, 10808, 10810, 10811, 10812, 10813, 10814 एवं 10815 कुल किता 16 कुल रकबा 3.38 हैक्टेयर वाके कस्बा चाकसू पश्चिम तहसील चाकसू, जिला जयपुर का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादी के 1/3 हिस्से की भूमि का पृथक से विधिवत तकासमा किया जाकर वादी की भूमि का अलग से पर्चा बनाया जाकर पृथक से लगान निर्धारित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादी के स्वत्व व अधिकार, कब्जे में किसी प्रकार की मजाहमत न तो स्वयं करे, न ही किसी अन्य से करावे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की कुरैजात पर बहस सुनकर अपने अंतिम डिक्री निर्णय दिनांक 01.05.2019 के द्वारा मुताबिक कुरैजात पक्षकारान के मध्य विभाजन कर अलग से खाता कायम किये जाने की अंतिम डिक्री पारित कर दी गई। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से यही निवेदन किया कि खसरा नंबर 10808, 10814, 10813 में अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के मकानात बने हुये है इसलिये विभाजन के समय उक्त भूमि को शामलाती में रखा जाना चाहिये था किन्तु मौका स्थिति अनुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन नहीं किया गया है। कुरैजात रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा निर्मित न कर पटवारी द्वारा बिना पक्षकारान को सूचित किये एवं बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये एवं राजस्व मंडल के नियम 18 से 21 के विपरीत जाकर तैयार किये गये है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन समस्त बिन्दुओं पर गौर किये बिना ही दिनांक 01.05.2019 को अंतिम डिक्री पारित की गई है जो विधिनुसार गलत है। इस कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned with CamScanner

निर्णय दिनांक 01.05.2019 खारिज फरमाया जावे। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी 14.05.2019 पेज 281 एवं आर. आर.डी. 14.10.2019 पेज 663 पेश किये। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये निवेदन किया कि अपीलान्ट ने अनावश्यक प्रकरण को लंबित रखने के लिये ही यह अपील प्रस्तुत की है। तहसीलदार द्वारा विभाजन की नियमावली अनुसार कुरैजात तैयार करते समस्त पक्षकारान को सूचित किया था किन्तु अपीलान्ट अनुपस्थित रहे थे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कुरैजात का निरीक्षण कर बाद निरीक्षण अंतिम निर्णय डिक्री दिनांक 01.05.2019 पारित की है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

4. वकील उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह पाया कि वादीगण द्वारा विवादग्रस्त आराजीयात के विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया गया जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.05.2019 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित कर पक्षकारान के मध्य तकासमा किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात के समुचित अवलोकन पश्चात् पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय डिक्री दिनांक 01.05.2019 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कुरैजात रिपोर्ट दिनांक 31.10.2018 को अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा खसरा नंबर 10499, 10500, 10501 एवं 10806 के अपने संपूर्ण 1/3 हिस्से का विक्रय रेस्पोडेन्ट्स रामकुंवार मीणा के हक में पूर्व में किया जा चुका है जिसका राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अंकन हो चुका है जिससे खसरा नंबर 10499, 10500, 10501 एवं 10806 में अपीलान्ट का कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहता है किन्तु कुरैजात रिपोर्ट में अपीलान्ट को उक्त खसरा नंबरान में से 10806/2 रकबा 0.11 हैक्टेयर विक्रय किये जाने के पश्चात् भी अपीलान्ट के खाते में दर्ज किया गया है जो कि विभाजन के नियमानुसार न्यायोचित नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कुरैजात रिपोर्ट पर तहसीलदार के काउन्टर हस्ताक्षर इंगित है जिससे स्पष्ट है कि उक्त कुरैजात रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा निर्मित नहीं की गई है एवं कुरैजात रिपोर्ट राजस्व मंडल के नियमों के विपरीत पक्षकारान को बिना सूचित किये ही पटवारी द्वारा ही निर्मित की गई है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कुरैजात रिपोर्ट बिना पक्षकारान को सूचित किये एवं बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये एवं राजस्व मंडल के नियम 18 से 21 के विपरीत जाकर तैयार किये गये है जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से वाद को डिक्री कर तकासमा किया गया है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटि कारित करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो गलत है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण पर चस्पा होते है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य पायी जाती है।

5. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय डिक्री दिनांक 01.05.2019 खारिज किया जाता है। पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्षों को सूचित कर, उभयपक्षों की उपस्थिति में, तहसीलदार स्वयं के द्वारा राजस्व मंडल के नियमावली 18 से 21 की पालना करते हुये कुरैजात रिपोर्ट तैयार करवाकर उभयपक्षकारान की कुरैजात पर आपत्ति हो तो उनका

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned with CamScanner

निस्तारण कर युक्तियुक्त निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान दिनांक 07.04.2020 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होवे। पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ प्रतिप्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 03.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned with CamScanner